तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रामादेवी बनाम मंगली देवी** **117/19**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.08.19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो करने प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य आपस मे मनमुटाव हो जाने के कारण उपरोक्त प्रकरण न्यायालय श्रीमान् के समक्ष संस्थित किया गया था परन्तु अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य गांव के मौजिज व्यक्तियों की आपसी समझाईश से पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है, इसलिये अपीलान्ट उपरेक्त उनवनी प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नही चाहती है इसिलये प्रकरण को इसी स्तर पर विड्रा किया जाना न्यायहित में उचित है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को विड्रा किये जाने के आदेश प्रदान करें। हमने पत्रावली का अवलोकन यिका तथा प्रकरण पर मनन किया गया। अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को विड्रो करना चाहती है तो ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये रखे जाने को काई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील विड्रो किये जाने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (के0सी0वर्मा) संभागीय आयुक्त जयपुर।	

संभागीय आयुक्त
जयपुर